कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–875 /FP/UK/ROAD/47302/2020 :देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मार्ग (लम्बाई 15.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/174/2020/एफ0सी0/2318, दिनांकः–18.02.2021

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के पत्रांक 520/12–1 दिनांक 14.09.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :**	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 22.23 हे0 गैर अवनत वन भूमि कलाप बीट, कलाप कक्ष संख्या–10 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, सीनीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रतातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 22.23 हे0 गैर अवनत वन भूमि कलाप बीट, कलाप कक्ष संख्या–10 पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि रू0 78,32,784.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा कोष, के कारपोरेशन बैंक में जमा की जा चुकी है। राजकीय वन विभाग द्वारा जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को ही लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा। इसका शपथ–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेग। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कर्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998– एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 11.**115 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 5,47,93,659.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–5 एवं 5a)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक–6)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रसताव के अनुसार 346 trees (including 32 saplings) से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी एवं पेड़ों का पातन 7 मी0 चौड़ाई में ही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक–7)**
7	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के अन्तर्गत प्रस्तावित है यह राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30–11–2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतः राज्य सरकार इस हेतु संशोधित अभिलेख (Part-IV) की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रेषित करें।	उक्त शर्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 2010 दिनांक 30–01–2021 के द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के अन्तर्गत है के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया है। **(प्रति संलग्न)**
8	The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be complied with strictly by the State Govt. and user agecy.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–8)**
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि

	केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 5,47,93,659.32 वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–5 के अनुसार)**
10	गाइड लाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
11	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)**
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंड़ो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने कां प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)**
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
15	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–14)**
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–15)**
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–16)**
18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–17)**
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–18)**
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–19)**
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–20)**

21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–22)**
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–23)**
24	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–24)**
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–25)**

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–895 /FP/UK/ROAD/47302/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0, मोरी, उत्तरकाशी।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C